# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001
email- jdajodhpur/yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2022/ 4379. दिनांकः– 07/10/2022

## –:कार्यवाही विवरणः–

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना कमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति के जोन पूर्व बैठक दिनांक 23.09.2022 को उपायुक्त (पूर्व) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ–1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैः–

| एजेण्डा संख्या | विषय |
|---|---|
| 01. | राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 83, रकबा 6–19 बीघा, खसरा संख्या 85, रकबा 17–16 बीघा, खसरा संख्या 85/1, रकबा 12–15 बीघा, खसरा संख्या 85/2, रकबा 16–10 बीघा एवं खसरा संख्या 85/6, रकबा 3–10 बीघा, कुल रकबा 57–10 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में। |

अन्य तथ्य :–

1. प्रस्तुत मानचित्र अनुसार योजना का कुल क्षेत्र 111320 वर्गगज प्राप्त हो रहा है। सुपर–इम्पोज/भौतिक सत्यापन किये गये मानचित्र की प्रति पत्रावली के पृष्ठ संख्या 41 पर संलग्न है।
2. पत्रावली के पैरा एन/3 अनुसार उक्त कॉलोनी दिनांक 17/06/99 से पूर्व की है तथा योजना में 10 प्रतिशत से कम निर्माण/आबादी है।
3. तहसीलदार–राजस्व, कुड़ी भगतासनी, जोधपुर की रिपोर्ट दिनांक 08/09/2022 को प्राप्त हो चुकी है, जो पृष्ठ संख्या 128–129 पर संलग्न है।
4. प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध उजर/एतराज या आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दैनिक समाचार–पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 27/08/2022 को लोक–सूचना का प्रकाशन करवाया गया। समाचार–पत्र की प्रति पृष्ठ संख्या 124 पर संलग्न है।
5. विधि शाखा की रिपोर्ट पत्रावली के पैरा एन/10 पर प्राप्त हो चुकी है, जिसके अनुसार विधि शाखा में उपलब्ध पैडिंग केस ऑनलाईन पॉर्टल अनुसार प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद लम्बित नहीं है।
6. अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट पत्रावली के पैरा एन/8 पर प्राप्त हो चुकी है, जिसके अनुसार उक्त खसरान् की भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।
7. प्राधिकरण की योजना दिनांक 17/06/99 से पूर्व की है किन्तु मौके पर 10 प्रतिशत से कम निर्माण/आबादी है, जिसके क्रम में निर्णय समिति द्वारा लिया जाना है।

निर्णय :– समिति द्वारा पत्रावली एवं एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण को मार्गदर्शन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

| एजेण्डा संख्या | विषय |
|---|---|
| 02. | खसरा संख्या 1/2, 1/2/2, 1/2/3, 1/2/1, ग्राम झालामण्ड एवं खसरा संख्या 308, ग्राम कुडी भगतासनी पूर्व में अनुमोदित ले–आउट प्लान में संशोधन बाबत्। |

अन्य तथ्य :–

1. प्रकरण में आवेदकगणों द्वारा पूर्व में दिनांक 29/08/2013 को राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 1/2, 1/2/1 मिन, 1/2/2, 1/2/3, 4, 4/2, 4/2 मिन, 4 मिन एवं ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा संख्या 308, कुल रकबा 23–08 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा हेतु आवेदन पेश किया गया था।
2. प्राधिकरण की जोन स्तरीय ले–आउट अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 23/10/2013 में उक्त भूमि का आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया था तथा दिनांक 25/10/2013 को 90–क निर्णय पारित किया गया था। 90–क निर्णय के क्रम में भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 5213, दिनांक 08/02/2014 को प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है। प्रकरण में पट्टा–विलेख जारी नहीं हुआ है।
3. प्रकरण में पूर्व में राज्य सरकार को एकल भूखण्ड का क्षेत्रफल 10000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृती हेतु दिनांक 13.10.2014 को पत्र प्रेषित किया गया था जिसके सबंध में प्रतिउत्तर प्राप्त नही हुआ है।

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

प्रतिज्ञा सोनी
तहसीलदार

श्रवणसिंह राजावत
R.A.S.
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

नवनीत राज त्रिवेदी
अधिशाषी अभियन्ता

4. प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.05.2016 को मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत पट्टे जारी किये जाने का निवेदन किया गया जिसके कम में राज्य सरकार से प्राप्त आदेश/मार्गदर्शन दिनांक 15.06.2016 अनुसार पूर्व में किसी परियोजना हेतु ले–आउट प्लान तथा 90ए के आदेश आवासीय प्रयोजनार्थ जारी किये जा चुके है तो आवासीय प्रयोजनार्थ प्राधिकरण स्तर पर एकल पट्टा जारी किया जा सकता है तथा योजना के प्रस्ताव मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत विकासकर्ता द्वारा आवेदित किये जा सकते है तथा ऐसी योजना का अनुमोदन प्राधिकरण स्तर पर किये जाने का प्रावधान है। उक्त के कम में आवेदक को दिनांक 20.02.2017 को पत्र प्रेषित कर 15 दिवस के भीतर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत दस्तावेज पेश करने अन्यथा पूर्व में अनुमोदित प्लान अनुसार राशि जमा कराने बाबत् निर्देशित किया गया। जिसके कम में आवेदक द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही किया गया है।
5. वर्तमान में प्रकरण के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा दिनांक 12/02/2021 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि में से 11–09 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संशोधित मानचित्र अनुमोदित करने का निवेदन किया गया है। प्रार्थना–पत्र के साथ आवेदक द्वारा ले–आउट प्लान, पी.टी. सर्वे प्लान, गुगल मैप की प्रतियां प्रस्तुत की गई है।
6. प्रस्तुत मानचित्र अनुसार योजना का कुल क्षेत्र 22168.09 वर्गगज प्राप्त हो रहा है। सुपर–इम्पोज/भौतिक सत्यापन किये गये मानचित्र पत्रावली की प्रति पृष्ठ संख्या 125 पर संलग्न है।
7. प्राधिकरण की राजस्व शाखा की नवीनतम दिनांक 25/08/2022 को की गई रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 130 पर संलग्न है। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को मौका एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार 200 फीट पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है।
8. वर्तमान मे प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 अनुसार औधोगिक प्रयोजनार्थ व सड़क मार्गाधिकार मे आरक्षित है।

निर्णय :– समिति द्वारा पत्रावली एवं एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण को मार्गदर्शन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

| एजेण्डा संख्या | विषय |
|---|---|
| 03. | राजस्व ग्राम नान्दडी के खसरा संख्या 47 का कार्यालय एडीएमएलसी जोधपुर द्वारा जारी पट्टा अनुसार आवसीय प्रयोजनार्थ ब्लॉक संख्या 33 कुल बनाप 1522.22 वर्गगज में से भूखण्ड संख्या 33/1 बनाप 155.55 वर्गगज का उपविभाजन करने बाबत्। |

निर्णय :–समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार विमर्श प्रकरण में स्वामित्व व अवाप्ति संबंधित रिपोर्ट कि सुनिश्चितता जोन स्तर से करते हुए तथा मुल पट्टा विलेख प्राधिकरण के पक्ष में समर्पित करवाये जाने व जोन स्तर से उपविभाजित भूखण्ड का नवीन पट्टा विलेख जारी किए जाने की शर्त पर उपविभाजन किये जाने का निर्णय लिया गया।

| एजेण्डा संख्या | विषय |
|---|---|
| 04. | राजस्व ग्राम नान्दडी के खसरा संख्या 47 का कार्यालय एडीएमएलसी जोधपुर द्वारा जारी पट्टा अनुसार आवसीय प्रयोजनार्थ ब्लॉक संख्या 34 कुल बनाप 1511.11 वर्गगज में से भूखण्ड संख्या 34/5 बनाप 150 वर्गगज का उपविभाजन करने बाबत्। |

निर्णय :–समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार विमर्श प्रकरण में स्वामित्व व अवाप्ति संबंधित रिपोर्ट कि सुनिश्चितता जोन स्तर से करते हुए तथा मुल पट्टा विलेख प्राधिकरण के पक्ष में समर्पित करवाये जाने व जोन स्तर से उपविभाजित भूखण्ड का नवीन पट्टा विलेख जारी किए जाने की शर्त पर उपविभाजन किये जाने का निर्णय लिया गया।

| एजेण्डा संख्या | विषय |
|---|---|
| 05. | राजस्व ग्राम नान्दडी के खसरा संख्या 47 का कार्यालय एडीएमएलसी जोधपुर द्वारा जारी पट्टा अनुसार आवसीय प्रयोजनार्थ ब्लॉक संख्या 34 कुल बनाप 1511.11 वर्गगज में से भूखण्ड संख्या 34/7 बनाप 144.44 वर्गगज का उपविभाजन करने बाबत्। |

प्रतिज्ञा सोनी
तहसीलदार

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

श्रवणासिंह राजावत
R.A.S.
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

नवनीत राज त्रिवेदी
अधिशाषी अभियन्ता

निर्णय :—समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार विमर्श प्रकरण में स्वामित्व व अवाप्ति संबंधित रिपोर्ट कि सुनिश्चितता जोन स्तर से करते हुए तथा मुल पट्टा विलेख प्राधिकरण के पक्ष में समर्पित करवाये जाने व जोन स्तर से उपविभाजित भूखण्ड का नवीन पट्टा विलेख जारी किए जाने की शर्त पर उपविभाजन किये जाने का निर्णय लिया गया।

| एजेण्डा संख्या | विषय |
|---|---|
| 06. | राजस्व ग्राम नान्दडी के खसरा संख्या 47 का कार्यालय एडीएमएलसी जोधपुर द्वारा जारी पट्टा अनुसार आवसीय प्रयोजनार्थ ब्लॉक संख्या 34 कुल बनाप 1511.11 वर्गगज में से भूखण्ड संख्या 34/9 बनाप 150 वर्गगज का उपविभाजन करने बाबत्। |

निर्णय :—समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार विमर्श प्रकरण में स्वामित्व व अवाप्ति संबंधित रिपोर्ट कि सुनिश्चितता जोन स्तर से करते हुए तथा मुल पट्टा विलेख प्राधिकरण के पक्ष में समर्पित करवाये जाने व जोन स्तर से उपविभाजित भूखण्ड का नवीन पट्टा विलेख जारी किए जाने की शर्त पर उपविभाजन किये जाने का निर्णय लिया गया।

| एजेण्डा संख्या | विषय |
|---|---|
| 07. | राजस्व ग्राम नान्दडी के खसरा संख्या 47 का कार्यालय एडीएमएलसी जोधपुर द्वारा जारी पट्टा अनुसार आवसीय प्रयोजनार्थ ब्लॉक संख्या 34 कुल बनाप 1511.11 वर्गगज में से भूखण्ड संख्या 34/6 बनाप 150 वर्गगज का उपविभाजन करने बाबत्। |

निर्णय :—समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार विमर्श प्रकरण में स्वामित्व व अवाप्ति संबंधित रिपोर्ट कि सुनिश्चितता जोन स्तर से करते हुए तथा मुल पट्टा विलेख प्राधिकरण के पक्ष में समर्पित करवाये जाने व जोन स्तर से उपविभाजित भूखण्ड का नवीन पट्टा विलेख जारी किए जाने की शर्त पर उपविभाजन किये जाने का निर्णय लिया गया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| तहसीलदार (पूर्व)<br>जोधपुर विकास प्राधिकरण | सहायक नगर नियोजक(पूर्व)<br>जोधपुर विकास प्राधिकरण | अधिशाषी अभियन्ता (पूर्व)<br>जोधपुर विकास प्राधिकरण | उपायुक्त (पूर्व)<br>जोधपुर विकास प्राधिकरण |

प्रतिज्ञा सोनी<br>तहसीलदार

सहायक नगर नियोजक<br>जोधपुर विकास प्राधिकरण

अधिशाषी अभियन्ता

R.A.S.<br>जोधपुर विकास प्राधिकरण<br>जोधपुर

क्रमांकः—जवि/ने.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2022/4380-85 दिनांकः— 07/10/2022

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त पूर्व, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशाषी अभियन्ता पूर्व, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार पूर्व, जो.वि.प्रा., जोधपुर

सहायक नगर नियोजक (पूर्व)<br>एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति<br>जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

सहायक नगर नियोजक<br>जोधपुर विकास प्राधिकरण<br>जोधपुर